रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/98 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED NO. D.L.—33002/98

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166] दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 1998/आश्विन 6, 1920 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 254
No. 166] DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 1998/ASVINA 6, 1920 [N.C.T.D. No. 254

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह-III विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 सितम्बर, 1998

संख्या एफ. 15 (82)/97/गृह-3/भ.नि./2103.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59-एच. आई. एम. (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अग्निशमन सेवा में लीडिंग फायरमैन के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक भर्ती पद्धति तथा योग्यताओं के संबंध में इसके साथ संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर
सी. वी. वर्मा, उप सचिव

अनुसूची

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अग्निशमन सेवा विभाग में लीडिंग फायरमैन के पद के भर्ती नियम

पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर चयन पद
1	2	3	4	5
लीडिंग फायरमैन	225* (1998) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर	समूह 'ग' संवर्ग बाह्य गैर-लिपिकीय	4000-100-6000 रु.+ विशेष भत्ता 600 रु., जोखिम वेतन-150 रु. प्रति माह, धुलाई भत्ता 30 रु. प्रति माह	गैर चयन

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	क्या के. सि. से. (पेंशन) नियमावली, 1992 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
6	7	8
लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत
9	10	11
लागू नहीं	2 (दो) वर्ष	पदोन्नति द्वारा

यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो, तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां, जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
12	13	14
(i) 80% पदोन्नति द्वारा, 3200-85-4900 रु. के ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा वाले फायरमैन, वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर। (ii) 20% पदोन्नति द्वारा 3200-85-4900 रु.के ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा वाले फायरमैन जिन्होंने एन.एफ.एस.सी. नागपुर से उप-अधिकारी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, या समकक्ष, जिसके न होने पर उपरोक्त कॉलम 12(i) में उल्लिखित वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	समूह ''ग'' वि. पदो. समि.	लागू नहीं

टीप :—चयनित अभ्यर्थियों को एक निर्धारित अवधि के लिए प्रशिक्षण पर जाना होगा तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा विनिर्धारित परीक्षा उर्तीण करनी होगी।

HOME-III DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 28th September, 1998

No. F. 15(82)/97/H-III/R.R/2103:—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. F. 27/59-Hom(i), dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the rules in the Schedule hereto annexed, regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Leading Fireman in the Delhi Fire Service, Government of National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the name
of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,
C. B. VERMA, Dy. Secy.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of the Leading Fireman in Delhi Fire Service, Govt. of N.C.T. of Delhi.

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age Limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Leading Fireman	225* 1998 *Subject to variation dependent on work load.	Group 'C', Ex-Cadre, Non-Ministerial.	Rs. 4000-100-6000. Plus Spl. Allowance Rs. 600, Risk Pay Rs. 150 p.m. Washing allowance Rs. 30 p.m.	Non-Selection.	N.A.

Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1992	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promottees	Period of probation, if any
7	8	9	10
No.	N.A.	N.A.	2 (Two) Years.

Method of Recruitment whether by direct Recruitment or by Promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies be filled by various methods.	In case of Recruitment by Promotion/Deputation/Transfer/ grades from which Promotion/ Deputation/Transfer to be made.	If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
11	12	13	14
By Promotion	(i) 80% by promotion of fireman with 5 years regular service in the grade of Rs. 3200-85-4900 on seniority-cum-fitness basis. (ii) 20% by promotion of fireman with 3 years regular service in the grade of Rs. 3200-85-4900 who has qualified the Sub-Officer course from the NFSC, Nagpur or equivalent failing which by promotion on seniority-cum-fiftness basis as mentioned under column No. 12(i) above. Note:—The selected candidates shall have to undergo a training course for a prescribed period and pass the tests perscribed by the Chief Fire Officer.	Group 'C' DPC.	N.A.

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 28 सितम्बर, 1998

सं. 14/10/98-एल ए एस/12596:—निम्नलिखित बिल को जन साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

1998 का विधेयक संख्या-10

दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 1998

(जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 28 सितम्बर, 1998 को पुन:स्थापित किया गया)

दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 (1971 का सं0 82) में पुनः संशोधन के लिए.

एक

विधेयक

भारत के गणतंत्र के उननचासवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाये:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक विस्तार एवं प्रारंभः-**

(1) यह अधिनियम दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहलायेगा ।

(2) यह समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रभावी होगा ।

(3) यह तत्काल प्रभावी होगा ।

2. **धारा 16 का संशोधनः-**

दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971(1971 की संख्या 82), जो वस्तुतः मूल अधिनियम से संदर्भित है, की धारा 16 में उप धारा (5), के परन्तुक के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा :- अर्थात्

" यदि यथा समय अर्थात् एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर अध्यक्ष द्वारा चुनाव नहीं कराया जाता है, तब कार्यकारी बोर्ड स्वतः भंग हो जाएगा, बशर्ते कि इसके कार्यकाल को सरकार द्वारा बढ़ाया जाना आवश्यक न समझा गया हो । कार्यकारी बोर्ड के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं कार्यकारी सदस्यों का चुनाव इस अधिनियम की धारा 15 एवं 16 और इसके आधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा । "

3. **धारा 19 का संशोधनः-**

मूल अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा 2 के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे:- अर्थात्

" यदि कार्यकारी बोर्ड लगातार तीन बैठकें नहीं कराती है, तब इस स्थिति में कार्यकारी बोर्ड स्वतः भंग हो जायेगी, बशर्ते कि इसके कार्यकाल को सरकार द्वारा बढ़ाया जाना आवश्यक न समझा गया हो । कार्यकारी बोर्ड के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं कार्यकारी सदस्यों का चुनाव इस अधिनियम की धारा 15 एवं 16 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा ।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की धारा 16 की उप–धारा 5 में व्यवस्था है कि कार्यकारिणी के अध्यक्ष, पदाधिकारी और अन्य सदस्य एक वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे, किन्तु वे केवल एक और अवधि के लिए पुनः निर्वाचन के योग्य होंगे । अधिनियम तथा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध समिति के विनियमों के उपबंधों से यह बात उजागर हुई है कि यह अनिवार्य है कि समिति की वार्षिक आम बैठक प्रति वर्ष होगी । आम चुनावों के पश्चात् समिति की पहली बैठक में कार्यकारी बोर्ड के पदाधिकारी और सदस्य निर्वाचित होंगे तत्पश्चात् कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष, पदाधिकारी और सदस्यों का निर्वाचन प्रति वर्ष होगा । यह भी व्यवस्था की गयी है कि पदमुक्त हो रहा प्रत्येक सदस्य या पदाधिकारी अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचन होने तक पद पर बने रहेंगे । इसके अलावा कार्यकारी बोर्ड के लिए यह भी अनिवार्य होगा कि प्रत्येक पखवाड़े में एक बार कार्यकारी बोर्ड की बैठक करवाए । एक वर्ष पूरा होने से पहले कार्यकारी बोर्ड और इसके पदाधिकारी/सदस्य अविश्वास मत से हटाए जा सकते हैं, जो 14 दिन का नोटिस देने के उपरान्त कम से कम 17 सदस्यों द्वारा हटाये जा सकेंगे । तथापि पिछले कई वर्षों का अनुभव रहा है कि प्रायः एक या दूसरे बहाने कार्यकारी बोर्ड के सदस्य, अन्य पदाधिकारियों और सदस्य का निर्वाचन स्थगित रखा गया है । दूसरे अध्यक्ष की सनक पर कार्यकारी बोर्ड की बैठक स्थगित/रद्द की गयी या प्रति पखवाड़े आयोजित नहीं की गयी और समिति सांविधि के उपबंधों की पूर्णतः अवहेलना करती है । इस प्रकार दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 के अधिनियमन के साथ सिख गुरुद्वारा के प्रबंध के लिए अपनाई गयी लोकतांत्रिक प्रणाली को न केवल क्षति पहुंचाई गई बल्कि झूठा भी साबित किया गया है । संभवतः इस चमत्कार के होने का स्पष्ट कारण यह भी है कि कार्यकारी बोर्ड की वार्षिक बैठकों के आयोजन और पखवाड़े के अन्तराल पर कार्यकारी बोर्ड की बैठकों के आयोजन संबंधी उपबंधों के प्रवृत्रन के लिये इस अधिनियम में उपबंधों का अभाव है । इसके अलावा धारा 16 की उप–धारा 5 के परन्तुक के वर्तमान रूप "शर्त यह है कि सेवामुक्त हो रहे पदाधिकारी या सदस्य अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचन होने तक पद पर बना रहेगा," निर्वाचन या बैठकों से सम्बद्ध उपबंधों की अवहेलना को बढ़ावा देने के कारण है । इस समय उपलब्ध केवल यही उपाय है कि सुसंगत उपबंधों के उल्लंघन के मामले सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं ।

उपरोक्त के मामले में यह सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान उपबंध के लिए एक नया उपबंध सन्निविष्ट करने/ सम्मिलित करने की अत्यधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है कि जैसा अधिनियम के उपबंधों द्वारा विचार किया गया है कार्यकारी बोर्ड के चुनाव प्रत्येक वर्ष बिना

किसी बाधा के होते हैं तथा कार्यकारी बोर्ड की बैठक 15 दिनों के अन्तराल में होती है, ताकि निर्णय केवल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध समिति के ही अधिकार में न हो । अधिनियम की धारा 19 का संशोधन उसकी उप-धारा (2) के उपबंध को सन्निविष्ट करके आवश्यक हो गया है ।

इस विधेयक ने उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है ।

दिल्ली
दिनांक.........1998

(हरशरण सिंह बल्ली)
मंत्री (उद्योग/गुरुद्वारा चुनाव)

<u>वित्तीय ज्ञापन</u>

उपरोक्त प्रस्तावित संशोधनों के कारण वित्तीय जटिलताएं शून्य हैं ।

<u>प्रत्यायोजित विधान से संबंधित ज्ञापन</u>

-शून्य-

<u>शाब्दिक सारांश</u>

<u>दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 (1971 का 82) की धारा 16 की उप-धारा 5 में व्यवस्था:-</u>

"उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन निर्वाचित कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होगा किन्तु वे केवल एक बार ही पुनः चुनाव के पात्र होंगे,

उपबंध है कि पूर्व पदाधिकारी या सदस्य अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचित होने तक पद पर बने रहेंगे ।"

<u>दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) में व्यवस्था:-</u>

(2) "कार्यकारी बोर्ड की बैठक प्रत्येक 15 दिनों में कम से कम एक बार या विनियमों द्वारा यथा निर्धारित अन्तराल से होगी ।"

उपराज्यपाल की संस्तुति

–शून्य–

DELHI VIDHAN SABHA SACHIVALAYA

NOTIFICATIONS

Delhi, the 28th September, 1998

No. 14/10/98-LAS/12596.—The following Bill is published for general information :—

BILL NO. 10 OF 1998

THE DELHI SIKH GURDWARAS (AMENDMENT) BILL, 1998

As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 28-09-1998.)

A

BILL

to further amend the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971(No.82 of 1971)

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement:-(1) This Act may be called the Delhi Sikh Gurdwaras (Amendment) Act, 1998.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. <u>Amendment of Section 16:-</u> In the Delhi Sikh Gurdwaras Act 1971(82 of 1971) , hereinafter referred to as "the principal Act), in Section 16 , for the proviso to sub-section (5), the following shall be substituted, namely:-

"Provided that if no election is held by the President before the expiry of one year, the Executive Board shall automatically stand dissolved unless the Government deems necessary to extend its term. In the event of dissolution of the Executive Board, the election of the President, other office bearers and members of Executive Board shall be held, so far as may be, in accordance with Sections 15 and 16 of this Act and the rules made thereunder".